न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर०ए०एस०

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 63/2023

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –

1. मनोज कुमार पुत्र दाउलाल जाति माहेश्वरी निवासी हाई स्कूल रोड, बाडमेर जिला बाड़मेर (मैसर्स दाउलाल रामनारायण बी–9 कृषि उपज मण्डी, बाडमेर का विक्रेता)
2. दाउलाल कुमार पुत्र रामनारायण जाति माहेश्वरी निवासी हाई स्कूल रोड, बाडमेर जिला बाड़मेर (मैसर्स दाउलाल रामनारायण बी–9 कृषि उपज मण्डी, बाडमेर का मालिक)
3. दिलीप कुमार हंसराज भाई रावल निवासी अन्बिका नगर, विजय हनुमान मंदिर के पास, रामलीला मैदान, पालनपुर जिला बनासकांठा, गुजरात(मैसर्स श्रीमूल डेयरी प्राईवेट लिमिटेड, कनोदर, बनासकांठा, नोमिनी फर्म)
4. फर्म श्रीमूल डेयरी प्राईवेट लिमिटेड, कनोदर, बनासकांठा (निर्माता फर्म)

<u>**परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 एवं 58**</u>

<u>**खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006**</u>

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:13:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 20.08.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 एवं 58 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स दाउलाल रामनारायण बी–9 कृषि उपज मण्डी, बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **04.08.2023** को खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड श्रीमूल (15 किलो के 05 टीन)** सील्ड अवस्था में आम जनता को विक्रय हेतु रखा पाया गया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 800 एमएल का वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2187** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड श्रीमूल** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड श्रीमूल (15 किलो टीन)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 एवं 58 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता जनस्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **16.08.2023** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:13:48 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

(Substandard) पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **Test for Foreign Fat** का मानक स्तर **Foreign fat should be absent** की तुलना में **Foreign Fat Present** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। इस पर अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 एवं 58 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 एवं 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 01 पर रूपये 50,000/–, अप्रार्थी संख्या 02 पर रूपये 50,000/–, अप्रार्थी संख्या 03 एवं 04 पर संयुक्त रूप से रूपये 1,50,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2024.12.06 16:13:48 IST
Reason: SelfAttested